न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री भागीरथ बिश्नाई, आर.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 76/2017 ::
आर.सी.एम.एस. न. ::2017/00334 ::

प्रार्थी :—

1. रमेशकुमार पुत्र पोकरलाल जाति लौहार निवासी बोरडी, ग्राम पंचायत जीवन्द कलां, पंचायत समिति रानी जिला पाली (राज.)
2. देवराज पुत्र पोकरलाल जाति लौहार निवासी बोरडी, ग्राम पंचायत जीवन्द कलां, पंचायत समिति रानी जिला पाली (राज.)
3. भरतकुमार पुत्र पोकरलाल जाति लौहार निवासी बोरडी, ग्राम पंचायत जीवन्द कलां, पंचायत समिति रानी जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. ग्राम पंचायत, जीवन्द कलां, पंचायत समिति रानी जिला पाली (राज.)
2. सरपंच, ग्राम पंचायत जीवन्द कलां, पंचायत समिति रानी जिला पाली (रानी)
3. महिला बाल विकास विभाग, आंगनबाडी बोरडी
4. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री सी.पी. सिंगानिया उपस्थित
अधिवक्ता अप्रार्थीगण सरकारी पैराकार उपस्थित

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 31/12/2018

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत जीवन्दकलां पंचायत समिति रानी के प्रस्ताव संख्या ..... दिनांक 21.11.2002 की पालना में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है प्रार्थीगण की निगरानी दर्ज की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के हक में प्रार्थीगण के ग्राम जीवन्दकलां में पट्टासुदा, कब्जासुदा मकान के दक्षिण दिशा में महिला बाल विकास विभाग आंगनवाडी बोरडी के हक में दिनांक 21.11.2002 को पंचायत बैठक समाप्त हो जाने के पश्चात आंगनवाडी—गुडा रूपसिंह व बोरडी के लिए पट्टा सर्वसम्मति से जारी किए जाने बाबत प्रस्ताव, प्रस्ताव रजिस्टर में एक अन्य पैन से अंकन कर ग्राम पंचायत ने दिनांक 21.11.2002 को ही आंगनवाडी के पक्ष में पट्टा संख्या 4654 निःशुल्क जारी कर दिया, जो काबिल निरस्त है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव रजिस्टर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आंगनवाडी के संबंध में जो प्रस्ताव लिया गया है, वह बैठक हो जाने के पश्चात लिया गया है। ग्राम पंचायत ने जिस भूमि का पट्टा जारी करने बाबत प्रस्ताव लिया है, उस भूखण्ड का कुछ हिस्सा नदी का भाग है तथा

अति० जिला कलक्टर, पाली

ग्राम पंचायत द्वारा जारी विक्रय विलेख के पृष्ठ भाग में भूखण्ड के जो पड़ोस दर्शाये गये है, उनसे यह स्पष्ट नहीं होता है कि वास्तव में भूखण्ड कहां स्थित है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायत नियमों की पालना नहीं की है तथा प्रार्थीगण के मकान से लगते ही उनके कब्जासुदा भूखण्ड का आंगनवाडी के भवन हेतु पट्टा जारी किया गया, लेकिन उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व न तो प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया, न ही उक्त पट्टा जारी करने हेतु आपत्ती इश्तिहार जारी किया, न ही भूखण्ड के नक्शे बाबत कोई कमेटी का गठन किया गया। उक्त भूखण्ड प्रार्थीगण के कब्जासुदा होने से उस पर उनका कुछ सामान पड़ा था, जिसे हटाने बाबत ग्राम पंचायत ने दिनांक 02.08.2016 को एक नोटिस दिया, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने एक निगरानी याचिका संख्या 27/2016 रमेशकुमार बनाम ग्राम पंचायत दिनांक 12.08.2016 को माननीय जिला कलक्टर महोदय, पाली के न्यायालय में पेश की, जिसके लम्बित रहते अप्रार्थीगण दिनांक 11.01.2017 को पुलिस जाब्ते के साथ प्रार्थीगण के कब्जासुदा भूखण्ड में तोड़–फोड़ करते हुए निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव रजिस्टर में प्रस्ताव लिए जाने के पश्चात एक कुटरचित प्रस्ताव लेकर अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाते हुए प्रार्थीगण के कब्जासुदा भुखण्ड का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो प्रारम्भ से ही शुन्य है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की पालना में जारी विक्रय विलेख को निरस्त फरमावे।

अप्रार्थीगण की ओर से सरकारी पैराकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.11.2002 को ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से राजहित में प्रस्ताव लेकर आंगनवाडी के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है, वह विधिसम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा नियमानुसार आंगनवाडी के पक्ष में निःशुल्क भूखण्ड का आवंटन का प्रस्ताव पारित कर जारी किया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूखण्ड जो उसके मकान के लगते हुए है, जिस पर उसका कोई हक–अधिकार नहीं है, फिर भी उन्होनें पंचायत की भूमि पर जलाऊ लकड़ियां डालकर अतिक्रमण कर दिया, जिसे हटाने बाबत ग्राम पंचायत ने अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने माननीय जिला कलक्टर, पाली के न्यायालय में एक निगरानी पेश की है। प्रार्थीगण को जिस भूखण्ड पर अतिक्रमण करने बाबत उसे नोटिस दिया गया है, वह न तो उसका कब्जासुदा भूखण्ड है, न ही उस पर उसका कोई अधिकार है, बल्कि उक्त भूखण्ड आंगनबाडी के नाम का पट्टासुदा आवंटित भूखण्ड है, जिस पर प्रार्थीगण ने अतिक्रमण किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व से प्रार्थी का कब्जा नहीं था, न ही ऐसा साक्ष्य पेश किया गया। जैर निगरानी भूमि पंचायत की है जिसका निःशुल्क पट्टा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियम 162 के अन्तर्गत जारी किया गया एवं प्रार्थी के घर के पीछे वाले द्वारा हेतु 5 फिट भूमि छोड़कर जारी किया गया है। इसके लिए मिसल कायम करने अथवा आपत्ती इश्तिहार जारी करने की आवश्यकता नहीं है। पंचायत द्वारा प्रस्ताव ही लिया जाना आज्ञापक है, इस प्रकार आंगनवाड़ी हेतु जो पट्टा जारी किया गया है। वह नियमानुसार किया गया है। जिसने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य है।

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। निगरानी के पैरा संख्या 3 में वर्णित किया है कि जैर निगरानी आराजी प्रार्थीगण के परिसर के लगती हुई है " अर्थात प्रार्थीगण की स्वग्र की मालिकाना हक–हकूक की आराजी नहीं है। ऐसी स्थिति में पंचायत की भूमि के संबंध में प्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस देने का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं होता है, न ही प्रार्थीगण के साक्ष्य सुनवाई की आवश्यकता है। उक्त भूमि पंचायत की होने से ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसममति से प्रस्ताव लिया जाकर आंगनवाडी राजकीय भवन निर्माण किए जाने हेतु पट्टा जारी किया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत होता है। किसी भी प्रकार से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत प्रतीत नहीं होता है।

आंगनवाडी के हक में जैर निगरानी पट्टा जरिए प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 21.11.2002 पारित किया जाकर निःशुल्क जारी किया गया है। जबकि नोटिस जरिए प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 06.07.2016 को लिया जाकर निगरानीकर्ता द्वारा आंगनवाडी की पट्टासुदा भूमि पर लकड़ी वगैरा डाल दी गई उसे हटाने हेतु दिया गया है। जो नहीं हटाने पर आंगनवाडी की पट्टासुद आराजी को पंचायत द्वारा जरिए पुलिस इमदाद के लकड़ी वगैरा हटाकर भुखण्ड विधी सम्मत कार्यवाही कर खाली कराया गया था। उक्त नोटिस 14 वर्ष बाद जारी किया अर्थात प्रार्थी द्वारा जो आंगनवाडी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया, जिसको हटाना लाजमी होने से पंचायत द्वारा कार्यवाही की गई तथा बाद में पंचायत द्वारा जारी पट्टे के खारीज कराने हेतु निगरानी पेश की गई, जो मात्र जैर निगरानी आराजी को कब्जा बताकर हड़पने का प्रयास मात्र है। जहां तक पाल पर पट्टा जारी किए जाने का प्रश्न है, प्रार्थीगण द्वारा पाल पर पट्टा जारी करने बाबत किसी प्रकार का साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

जैर निगरानी पट्टा राजहित में आंगनवाडी के भवन निर्माण हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया जाकर जारी किया गया है। जिसके लिए पंचायत राज अधिनियम के नियम 162 के अधीन आंगनवाडी को निःशुल्क तथा निर्धारित सीमा में ही आवंटन कर पट्टा जारी किया गया है, जो कि विधी सम्मत है, अन्य किसी प्रक्रिया की बाध्यता इस नियम के तहत नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा सिविल वाद माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देसूरी में विचाराधीन वाद विद्यादेवी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत जीवन्द कलां में प्रस्तुत मौका स्थिति के नक्शा दिनांक 03.04.2017 की प्रतिलिपी जारी दिनांक 25.04.2017 प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थीगण की पट्टासुदा भूमि के दक्षिण में पड़त भूमि दर्शाई गई है तथा उसी भूमि का पट्टा पंचायत जीवन्दकलां द्वारा जारी किया गया है। जैर निगरानी पट्टा भूमि के बाद में नदी स्थित है। जिससे भी पंचायत की भूमि प्रार्थीगण की भूमि के दक्षिण में होना स्पष्ट है एवं उसी का पट्टा जारी किया गया है। जो न्यायोचित है।

जैर निगरानी पट्टा भूमि के उतर में गली है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को किसी प्रकार का एतराज निकास संबंधी भी नहीं होना चाहिए। प्रार्थीगण का जैर निगरानी भूखण्ड पर जलाऊ लकड़ी व कूड़ा करकट हाल कर किया जाना मौका रिपोर्ट में उल्लेखित है, जो स्थाई कब्जा होने की श्रैणी में नहीं माना जा सकता है तथा उसे हटा

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

भी दिया गया। आंगनवाडी भवन निर्माण में प्रार्थीगण के हित भी कहीं प्रभावित नहीं है। माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय द्वारा नियुक्त सर्वे कमीश्नर की रिपोर्ट अनुसार आंगनवाडी भवन पक्का बना हुआ है तथा उसके उतर दिशा में गेप (जगह) है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में निगरानी भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कब्जा संबंधी दस्तावेज अथवा ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया, जो प्रार्थी के उक्त भूमि पर स्वत्व का दावा सिद्ध करता हो। ऐसी स्थिति में भूमि पंचायत की थी एवं संबंधित पंचायत द्वारा जो पट्टा आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु राजहित में जारी किया गया, जो विधी सम्मत है। इसमें प्रार्थीगण को किसी प्रकार से उसके हक अधिकारों से वंचित किया जाना सिद्ध नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत जीवन्द कलां द्वारा आंगनवाड़ी भवन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी बोरड़ी के हक में जारी प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 21.11.2002 तथा उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4654 दिनांक 21.11.2002 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड पालनार्थ भिजवाया जावे।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलक्टर, पाली